FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

रामेश्वर वगै० बनाम ~~[illegible]~~ राज० सरकार

किस्म मुकदमा .... नं. /प्रा.पत्र/ सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-05-24	सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलबकर पत्रावली दिनांक 30-05-24 को पेश हो।	
30-5-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषगण कार्य स्थगित कन्डोलेन्स पर है। अत: पत्रावली [illegible]बिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-06-24 को पेश हों।	
6-06-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी की तरफ से सरकार पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं कर सहमति व्यक्त की गई हस्ताक्षर सरकार पैरोकार आदेशिका पर करवाये गये। पत्रावली पर उभयपक्ष को सुना गया। बहस समाप्त पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	NTAR रामेश्वर

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

31/प्रा.पत्र/2024 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 22.05.2024 — श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. रामेश्वर गोचर पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी नान्ता तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. चन्द्रमोहन गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग जाति महाजन निवासी गणेश पिपली के पास नकटया का जगरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर राज0

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट

प्रार्थीगण की ओर से :— श्री आरिफ अली

अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांकः— 06.06.2024

—:आदेशः—

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि ग्राम कांकराडूंगर पटवार हल्का उतराना भू. अभिलेख निरक्षक क्षेत्र लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि खसरा संख्या नया 11 पुराना 122 ख0सं0 900 रकबा 0.0700 है0, ख0सं0 902 रकबा 2.31 है0 कुल किता 2 रकबा 2.3100 है0 जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थीगण की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस—पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थीगण की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है जितनी कृषि भूमि प्रार्थी के खाते में है उतनी कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

मौके पर नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं व कब्जे की कृषिभूमि के पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की सीमाओ को मिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थिगण की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थिगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कांकराडूंगर पटवार हल्का उतराना भू. अभिलेख निरक्षक क्षेत्र लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या नया 11 पुराना 122 ख0सं0 900 रकबा 0.0700 है0, ख0सं0 902 रकबा 2.31 है0 कुल किता 2 रकबा 2.3800 है0 जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थिगण से वसूल किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)